

अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित (ए.एस.बी.ए./ असबा)आवेदन:

बैंक को 15 जनवरी 2012 से असबा के अधीन बैंक के ग्राहकों से आवेदन स्वीकार करने के लिए सेबी(एस.ई.बी.आई.) द्वारा स्वप्रमाणित समूह बैंक(एस.सी.एस.बी.) के रूप में प्राधिकृत किया गया है.

असबा (ए.एस.बी.ए.) क्या है?

असबा एक सरल, सुरक्षित तथा निवेशक के लिए अनुकूल अनुपूरक प्रक्रिया है जिसके द्वारा निवेशक सार्वजनिक निर्गम/ अधिकार निर्गम में बिना किसी भुगतान के आवेदन कर सकता है, उसके बदले में निवेशक के बैंक खाते में आवेदित राशि ब्लॉक कर दी जाती है. शेयरों के आवंटन के निर्धारण पर, केवल आवंटित शेयरों के लिए अनुपातिक रकम ही निवेशक के खाते में नामे लिखी जाएगी. देना बैंक अपने ग्राहकों को ऐसी सुविधा प्रदान करता है.

ग्राहक असबा आवेदन भौतिक रूप में किसी भी नामित शाखा में प्रस्तुत कर सकते हैं.

जो ग्राहक भौतिक रूप से आवेदन करना चाहते हैं, वह आवेदन पत्र को एन.एस.सी.(NSE) तथा बी.एस.सी(BSE) की वेबसाईट पर से डाउनलोड कर सकते हैं.

असबा का लाभ कौन उठा सकता है:

1. निवेशक जिसका बैंक की किसी भी शाखा में चालू या बचत खाता है, और जिसके खाते में ब्लॉक करने के लिए पर्याप्त जमा शेष हो.
2. ऐसा निवेशक जिसके पास पैन (पी.ए.एन.) संख्या हो.
3. ऐसा निवेशक जिसका निक्षेपागार प्रतिभागी (डी.पी.) के साथ डिमेट खाता हो.

असबा में उपलब्ध सुविधाएं:

1. निवेशक अलग अलग पैन संख्या से अधिकतम 5 आवेदनों को ब्लॉक करा सकता है.
2. निवेशक निर्गम की मूल्य सीमा के अंतर्गत अधिकतम 3 बोलियां लगा सकता है और वह एक आवेदन में निगमकर्ता द्वारा निर्धारित लॉट आकार के गुणक में होना चाहिए तथा रकम 3 बोलियों में से उच्चतम मूल्य के लिए ब्लॉक की जाएगी.
3. व्यक्तिगत/ शेयर धारक/ कर्मचारी श्रेणियों में रु 2 लाख तक की आवेदन रकम हेतु खुदरा निवेशकों को निर्धारित सीमा पर बोलियों की अनुमति दी जाती है.
4. अर्हताप्राप्त संस्थागत खरीदारों (क्यू.आई.बी.) सहित सभी श्रेणी के निवेशक असबा के माध्यम से आवेदन करने के लिए पात्र हैं.

5. खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों के लिए बोली में संशोधन तथा उसे रद्द करने की अनुमति निर्गम बंद होने की तिथि एवं समय तक दी जाती है. तथापि खुदरा के अलावा अन्य निवेशकों के लिए अंतिम दिन 4 बजे के बाद संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती.

निवेशक के लिए असबा के लाभ:

- निवेशक को आवेदन धन चेक द्वारा भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है इसके बदले वह खाते में आवेदन धन की सीमा तक अपने खाते में राशि ब्लॉक कर सकता है और इस प्रकार आवेदन धन पर ब्याज अर्जित कर सकता है.
- निवेशक को धन वापसी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आवंटन का आधार निर्धारित किए जाने के बाद जब उसका आवेदन आवंटन के लिए चुना जाता है तो बैंक खाते से आवंटित प्रतिभूतियों के अनुपात में ही राशि ली जाएगी.
- आवंटित शेयर निवेशक के विनिर्दिष्ट डीमैट खाते में सीधे जमा किये जाएंगे.
- असबा का आवेदन पत्र सरल है.
- निवेशक परिचित संस्थाओं से व्यवहार करता है जो कि उसका बैंक है और जहाँ पर उसका बैंक खाता है.

असबा के लिए नोडल शाखा - बैंक की पूंजी बाजार शाखा, मुंबई है; जिसके विवरण निम्नप्रकार हैं:

देना बैंक

पूंजी बाजार शाखा,

देना बैंक बिल्डिंग,

17, हॉर्निमन सर्कल,

फोर्ट, मुंबई 400023

दूरभाष संख्या: 22661206/22702881 फैक्स: 22694426

ई मेल: cmb@denabank.co.in

बैंक समूह तथा उप समूह को प्रस्तुत निर्गम के लिए असबा सुविधा प्रदान करता है.

असबा के संबंध में कोई शिकायत हो तो बैंक को इस ई मेल आई डी पर मेल भेजा जा सकता है:

asbagrievance@denabak.co.in